



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 385 वर्ष 2026

गणेश और 2 अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

रामदास और 5 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : दीपक प्रजापति सुरेश कुमार मौर्य प्रतिवादी(यों)
के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सीएससी

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी।

2. इस रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है:-

"माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर, फतेहपुर के उप निदेशक, समेकन को निर्देश दिया जाए कि वे समेकन अधिनियम की धारा 48(1) के तहत दायर विविध संख्या 30/2024 (गणेश और अन्य बनाम रामदास और अन्य) पुनरीक्षण याचिका और परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर विलंब क्षमादान आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लें।"

3. यदि उपरोक्त मामले का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश जारी किया जाता है, तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपरोक्त संदर्भ में, इस मामले को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए न्यायालय मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जैसा कि रिट याचिका में उल्लेख किया गया है, इस रिट याचिका का अंतिम निपटारा करना उचित समझता है, और प्रतिवादी संख्या 5 को निर्देश देता है कि वह उक्त मामले का निपटारा विधिवत रूप से, तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश के माध्यम से करे, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर करे।

5. उपरोक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंततः निस्तारण किया जाता है।

2 फरवरी, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"